

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 06 अगस्त, 2024

आप.पु.या. 702/2023 और आप.वि.आ. 17086/2023

नरेश कुमार

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री दीक्षा आनंद, श्री दिवेश गौतम और श्री परमानंद, पुनरीक्षणकर्ता के लिए अधिवक्तागण

बनाम

बबीता एवं अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री सौम्य कपूर और श्री निहित सिंघल,
अधिवक्तागण (वी. सी. द्वारा)

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित महाजन

न्या. अमित महाजन (मौखिक)

1. वर्तमान याचिका बबीता एवं अन्य बनाम नरेश कुमार शीर्षक वाली भरण-पोषण याचिका (पुरानी) संख्या 417/2018 और नई संख्या 296/2020 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पूर्वी जिला, कड़कड़ूमा न्यायालय, दिल्ली

द्वारा पारित दिनांक 17.03.2023 (इसके बाद 'आक्षेपित आदेश') के निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

2. विद्वान परिवार न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 125 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर याचिका पर निर्णय किया, और निम्नानुसार टिप्पणी की:

“15. याचिकाकर्ता संख्या 1 वर्तमान में कमाई नहीं कर रही है और याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 स्कूल जाते हैं। प्रत्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता संख्या 1 को वर्तमान याचिका दायर करने की तिथि से लेकर उसके जीवन काल तक या प्रत्यर्थी से तलाक के बाद पुनर्विवाह होने तक, यदि कोई हो या जब तक वह स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम न हो जाए, 8,000 रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण के रूप में भुगतान करे। प्रत्यर्थी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता संख्या 2 को वर्तमान याचिका दायर करने की तिथि से उसके वयस्क होने की तिथि तक 8,000 रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण के रूप में भुगतान करे। प्रत्यर्थी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता संख्या 3 को वर्तमान याचिका दायर करने की तिथि से लेकर उसके विवाह की तिथि तक या जब तक वह स्वयं अपना भरण-पोषण करने में सक्षम न हो जाए, 8,000 रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण के रूप में भुगतान करे। तदनुसार, वर्तमान याचिका का निपटान किया जाता है।”

3. विद्वान परिवार न्यायालय ने याचिकाकर्ता की आय ₹1,00,000/- प्रति माह आंकी। यह टिप्पणी की गई कि याचिकाकर्ता एनआरके ऑटोमोबाइल्स के नाम और शैली के तहत ऑटोमोबाइल व्यवसाय चला रहा था। विद्वान परिवार न्यायालय

ने याचिकाकर्ता की आईटीआर पर विचार किया। यह उल्लेख किया गया कि, कर निर्धारण वर्ष 2014-2015 के लिए याचिकाकर्ता की शुद्ध कर-निर्धार्य आय ₹3,36,413/- थी। बाद की अवधि, यानी 2015-2016 के लिए, याचिकाकर्ता की सकल कुल आय ₹3,91,880/- थी, और बाद में, कर निर्धारण वर्ष 2018-2019 के लिए, याचिकाकर्ता की सकल कुल आय ₹1,58,336/- दर्ज की गई।

4. विद्वान परिवार न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता के पास अलीगढ़ में 7 बीघा कृषि भूमि है। यह टिप्पणी की गई कि याचिकाकर्ता के मृतक पिता ने याचिकाकर्ता की मां के पक्ष में एक वसीयत बनाई थी।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान परिवार न्यायालय ने गलत तरीके से याचिकाकर्ता की आय ₹1,00,000/- प्रति माह आंकी है। जबकि याचिकाकर्ता के पास एनआरके ऑटोमोबाइल्स के नाम और स्टाइल में एक मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी और वह लगभग ₹.24,000 - ₹.30,000 कमा रहा था, वह वर्ष 2021 से बंद हो गई है।

6. उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता दिल्ली में अपना कारोबार समेटने के बाद अब अपने गृहनगर अलीगढ़ में आ गया है और वर्तमान में मेहनत मजदूरी कर रहा है तथा 8,000 रुपये प्रतिमाह कमा रहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान

परिवार न्यायालय ने गलत तरीके से कृषि भूमि को याचिकाकर्ता की मान लिया है, जबकि इस पर याचिकाकर्ता की मां का मालिकाना हक है, न कि याचिकाकर्ता का। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1, याचिकाकर्ता से अधिक योग्य होने के कारण, कमाने और अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है और वह "कलर्ड फैशन बुटीक" के नाम से अपनी बुटीक भी चलाती थी।" परिणामस्वरूप, उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रति माह 24,000 रुपये के भरण-पोषण खर्च का भुगतान करना बोज़िल है और याचिकाकर्ता के लिए संभव नहीं है।

7. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 वर्तमान में काम नहीं कर रही है, और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने केवल यह दावा किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास आय का अपना स्वतंत्र स्रोत है, हालांकि, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 वर्तमान में कहीं काम कर रही है।

8. उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर दावा किया है कि उसका ऑटोमोबाइल व्यवसाय 2021 में बंद हो गया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने उक्त दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है।

9. यह निर्विवाद है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 याचिकाकर्ता की पत्नी है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 याचिकाकर्ता के बच्चे हैं। दं.प्र.सं. की धारा 125 उन शर्तों को स्पष्ट करती है जिनके तहत पत्नी को भरण-पोषण भत्ते के लिए अयोग्य माना जा सकता है। इन स्थितियों में वे मामले शामिल हैं जहां पत्नी व्यभिचारी गतिविधियों में लिप्त है, जहां वह बिना किसी उचित कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या जहां दोनों पक्षकार आपसी सहमति से अलग रहने के लिए सहमत हो गए हैं। ये प्रावधान स्पष्ट कानूनी मानदण्डों को रेखांकित करते हैं जो भरण-पोषण के हकदार होने या न होने को नियंत्रित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सहायता केवल उन परिस्थितियों में ही प्रदान की जाए जिनमें ऐसी वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो।

10. उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई आधार नहीं बताया गया है या तर्क नहीं दिया गया है जो पत्नी को भरण-पोषण पाने के अधिकार से वंचित करता हो।

11. प्रत्यर्थीगण को 24,000/- रुपये प्रति माह की राशि का भरण-पोषण देने के औचित्य के प्रश्न पर विचार करने से पहले, यह न्यायालय सर्वप्रथम याचिकाकर्ता की कुल निर्धारणीय मासिक आय को स्पष्ट करना उचित समझता है। विद्वान

परिवार न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश में, याचिकाकर्ता की मासिक आय रु.1,00,000 आंकी है।

12. *अन्नुरिता वोहरा बनाम संदीप वोहरा : 2004 (74) डीआरजे 99* के कथन के अनुरूप, विद्वान परिवार न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कमाने वाले सदस्य होने के नाते दो शेयर, प्रत्यर्थी संख्या 1-3 को एक-एक शेयर तथा याचिकाकर्ता की मां को एक शेयर आवंटित किया है। हालाँकि, यह देखते हुए कि उसने प्रत्येक प्रत्यर्थी को ₹8,000 की राशि प्रदान की है, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान परिवार न्यायालय ने प्रत्येक आश्रित का हिस्सा ₹8,000/- निर्धारित किया है। परिणामस्वरूप, कमाने वाले सदस्य होने के नाते याचिकाकर्ता का हिस्सा ₹16,000/- होगा। इस परिप्रेक्ष्य में, जबकि विद्वान परिवार न्यायालय ने याचिकाकर्ता की कर निर्धारण योग्य मासिक आय ₹1,00,000/- दर्ज की है, उसने वास्तव में आय ₹48,000/- आंकी है। इस प्रकार, प्रश्न यह है कि क्या विद्वान परिवार न्यायालय ने याचिकाकर्ता की आय का सही निर्धारण लगभग ₹48,000/- किया है।

13. अनेक निर्णयों में यह उल्लेख किया गया है कि जब कोई व्यक्ति वैवाहिक विवाद में उलझा होता है तो उसकी आय को कम करके दिखाने की प्रवृत्ति होती है तथा ऐसे मामलों [संदर्भ: किरण तोमर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य: 2022 एससीसी

ऑनलाइन एससी 1539 में आयकर रिटर्न आवश्यक रूप से वास्तविक आय का सटीक प्रतिबिंब प्रदान नहीं करता है। यह भी सर्वविदित है और इस न्यायालय ने भी कई मामलों में यह टिप्पणी की है कि पक्षकारगण की, विशेषकर वैवाहिक विवादों में, अपनी वास्तविक आय का खुलासा न करना एक सामान्य प्रवृत्ति है। इस प्रकार, प्रत्यर्थीगण को उचित राशि का भरण-पोषण भुगतान करने से बचने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा अपनी आय को कम करके बताने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

14. ऐसी परिस्थितियों में न्यायालयों को कुछ अनुमान लगाने तथा एक ऐसे आंकड़े पर पहुंचने की अनुमति होती है जो पक्षकार उचित रूप से कमा सकता है। [संदर्भ: भरत हेगड़े बनाम सरोज हेगड़े: 2007 एससीसी ऑनलाइन डेल 622]

15. विद्वान परिवार न्यायालय ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता वास्तव में एनआरके ऑटोमोबाइल के नाम और शैली में ऑटोमोबाइल व्यवसाय चला रहा था। यह भी उल्लेख किया गया कि जबकि याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उक्त व्यवसाय बंद कर दिया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे पता चले कि एनआरके ऑटोमोबाइल्स अब चालू नहीं है। विद्वान परिवार न्यायालय ने यह भी संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता ने अपना आईटीआर अभिलेख

पर प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन पक्षकारगण के बीच मुकदमेबाजी शुरू होने के बाद याचिकाकर्ता ने अपने आईटीआर में कम आय दर्शानी शुरू कर दी। विद्वान परिवार न्यायालय ने यह भी ध्यान में रखा कि याचिकाकर्ता के पास 7 बीघा कृषि भूमि थी, जिसके लिए याचिकाकर्ता के मृत पिता ने याचिकाकर्ता की मां के पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी।

16. पक्षकारगण द्वारा अपनी आय को कम दिखाने की प्रवृत्ति को देखते हुए, तथा इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि एनआरके ऑटोमोबाइल्स ने परिचालन बंद कर दिया है, विद्वान परिवार न्यायालय ने याचिकाकर्ता की आय लगभग ₹48,000/- होने का सही आकलन किया। याचिकाकर्ता ने खुद दावा किया है कि कथित तौर पर कारोबार बंद होने से पहले वह ₹24,000 - ₹30,000 कमा रहा था। इसके विपरीत संकेत देने वाले साक्ष्य के अभाव में, विद्वान परिवार न्यायालय का आकलन प्रशंसनीय है और इसमें कोई दोष नहीं निकाला जा सकता है।

17. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास आय का अपना स्वतंत्र स्रोत था, और वह याचिकाकर्ता की तुलना में कमाने में अधिक योग्य और सक्षम थी। हालाँकि, विद्वान परिवार न्यायालय ने सही टिप्पणी की है कि याचिकाकर्ता ने यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं

किया है कि कार्यवाही के लंबित रहने के समय प्रत्यर्थी संख्या 1 कहीं काम कर रही थी। इसके अलावा, केवल इसलिए कि एक महिला कमाने में सक्षम है, या अधिक योग्य है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है।

18. याचिकाकर्ता के ये तर्क कि वह कमाई नहीं कर रहा है या उसका व्यवसाय चालू नहीं है, भरण-पोषण से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता। जैसा कि माननीय शीर्ष न्यायालय ने **शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान: (2015) 5 एससीसी 705** में टिप्पणी की है, दं.प्र.सं. की धारा 125 के तहत भरण-पोषण प्राप्त करने का पत्नी का अधिकार, जब तक कि अयोग्य न हो, पूर्ण है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता, जो एक सक्षम पुरुष है, का यह दायित्व है कि वह प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 3 को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करे।

19. ऐसी परिस्थितियों में, मेरी राय में, विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा दिया गया भरण-पोषण अनुचित नहीं है।

20. हालांकि, यह उल्लेख करना उचित है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.05.2023 का अपना आय प्रमाण पत्र अभिलेख पर रखा है, जिसमें कहा गया है कि वह वर्तमान में केवल रु. 8,000/- प्रति माह कमा रहा है। चूंकि

याचिकाकर्ता परिस्थितियों में बदलाव का दावा कर रहा है, इसलिए उचित उपाय दं.प्र.सं. की धारा 127 के तहत निहित है।

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला है और वर्तमान याचिका को उपरोक्त शर्तों में खारिज कर दिया जाता है।

न्या. अमित महाजन

6 अगस्त, 2024

‘अमन’

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।